राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्रम पंचायत भीम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत भीम

प्रकरण सं. – **01/2014** रे0वा0 निर्णय दिनांक – 02.07.2015

अनवान

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता जालमसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट तहसील भीम।
2. श्री उदयसिंह पिता जालमसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट तहसील भीम।

वादी

बनाम

1. श्री देवीसिह पिता कानसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट तहसील भीम।
2. श्री गंगासिह पिता मालसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट तहसील भीम।

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए

यह कि मौजा नेडी पटवार हल्का भीम तहसील भीम में निम्न विवरण वाली आराजियात वादी के खाते व कब्जे मे स्थित होकर पीढियों से हम ही काश्त करत कराते चले आ रहे है:–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	किस्म
374	15216	02	15	00	नहरी 2
कुल किता 1 रकबा 02 बीघा 15 विस्वा					

यह कि उक्त वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात को पीढियों से हमारे द्वारा काश्त कर उसका निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग हम वादीगण द्वारा किया जाता आ रहा है तथा कभी कभी साली, मजदुरो व सीजारियों को भी बाटे पर दी जाकर निर्धारित बंटा लेकर काश्त करते कराते आ रहे है।

यह कि उक्त वादपत्र में वर्णित आराजियात के हम वादीगणो का कब्जा हमारे पूर्वजो से ही चला आ रहा है तथा उक्त आराजियात पर हम वादीगणो के अलावा किसी अन्य वयक्ति का कोई हक दखल सरोकार उक्त आराजी पर नही है। उक्त प्रतिवादीगण ने हम वादीगण की उक्त आराजियात में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर बिना किसी अधिकार के पत्थर डाल चार दिवारी करवाने की पूरी तैयारी करली है तथा उक्त आराजियात पर हमारा कब्जा छीन कर प्रतिवादीगण नाजायज कब्जा कर सकते है।

यह कि उक्त आराजियात पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है फिर भी उनकी नियत मे खोट आ जाने से लाठी के धन बल पर उक्त आराजियात का कब्जा करना चाहते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प भीम मे पेश हुआ**। वादी का वाद एकतरफा स्वीकार किया जाकर मौजा नेडी के आराजी नम्बर 15216 रकबा 02 बीघा 15 विस्वा भूमि का मौके पर प्रतिवादीगणों को मौके से बेदखल कर वादीगणों के नाम की जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

( )
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द